अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956

1 संक्षिप्त नाम और विस्तार परिभाषाएं

1. 2(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अन्तर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

2 परिभाषाएं

इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा, अपेक्षित न होः

(क) "विहित' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ख) "अधिकरण' से धारा 4 के अधीन गठित जल विवाद अधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) "जल विवाद' से दो या अधिक राज्य सरकारों के बीच कोई ऐसा विवाद या मतभेद अभिप्रेत है जो––

(i) किसी अन्तर्राज्यिक नदी या नदी–दूनों के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के बारे में हो; अथवा

(ii) ऐसे जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण से संबंधित किसी करार के निबन्धनों के निर्वचन या ऐसे करार के कार्यान्वयन के बारे में हो; अथवा

(iii) धारा 7 में अन्तर्विष्ट प्रतिषेध के उल्लंघन में किसी जल दर के उदग्रहण के बारे में हो।

3 जल विवादों के बारे में राज्य सरकारों द्वारा परिवाद

यदि किसी राज्य की सरकार को यह प्रतीत होता है कि दूसरे राज्य की सरकार के साथ जल विवाद इस कारण उत्पन्न हो गया है या होने की संभावना है कि अंतर्राज्यिक नदी या नदी–दून के जल में राज्य या उसके किन्हीं निवासियों के हित पर निम्नलिखित किसी कारण से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है या पडना संभाव्य है, अर्थात––

(क) दूसरे राज्य द्वारा की गई या प्रस्थापित किसी कार्यपालक कार्रवाई अथवा पारित या प्रस्थापित किसी विधान से; अथवा

(ख) जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के बारे में दूसरे राज्य या उसके किसी प्राधिकारी के अपनी शक्तियों में से किसी का प्रयोग न करने से; अथवा

(ग) जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण से संबंधित किसी करार के निबन्धनों के दूसरे राज्य द्वारा कार्यान्वित न किए जाने से, तो राज्य सरकार ऐसे प्रारूप और रीति में, जो विहित की जाए, न्याय निर्णयन के लिए अधिकरण को जल विवाद निर्देशित करने का केन्द्र से अनुरोध कर सकेगी।

4 अधिकरण का गठन

4.3(1) जब धारा 3 के अधीन कोई अनुरोध जल विवाद के बारे में किसी राज्य सरकार से प्राप्त होता है और केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि जल विवाद बातचीत से तय नहीं किया जा सकता है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, जल विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए जल विवाद अधिकरण का गठन करेगी।

परन्तु अन्तर्राज्यिक जल विवाद (संशोधन) अधिनियम 2002 के प्रारम्भ से पूर्व अधिकरण द्वारा तय किए गए किसी विवाद को पुनः नहीं खोला जाएगा।'

4[(2) अधिकरण में एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होंगे जो इस निमित्त भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उन व्यक्तियों में से नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे जो ऐसे नाम निर्देशन के समय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीन हों।

5(3) अपने समक्ष कार्यवाही में राय देने के लिए अधिकरण दो या अधिक व्यक्तियों को असेसर के रूप में नियुक्त कर सकेगा।

5 जल विवादों का न्यायनिर्णयन

5.(1) जब अधिकरण का धारा 4 के अधीन गठन हो गया हो, तो केन्द्रीय सरकार, धारा 8 में अन्तर्विष्ट प्रतिषेधों के अध्यधीन जल विवाद और जल विवाद से सम्बद्ध या सुसंगत प्रतीत होने वाले किसी मामले को न्यायनिर्णयन के लिए अधिकरण को निर्दिष्ट करेगी।

6(2) अधिकरण उन मामलों का अन्वेषण करेगा जो उसको निर्दिष्ट किए गए हैं और वह केन्द्रीय सरकार को तीन वर्ष की अवधि के भीतर एक रिपोर्ट भेजेगा जिसमें उसके द्वारा पाए गए तथ्य और उसकी निर्दिष्ट मामलों पर उसके द्वारा दिया गया विनिश्चय उपवर्णित होगा।

परन्तु यदि विनिश्चय अपरिहार्य कारणों से तीन वर्ष की अवधि के भीतर नहीं दिया जा सकता है, तो केन्द्रीय सरकार, उक्त अवधि को दो वर्ष से अनधिक की और अवधि के लिए विस्तारित कर सकेगी।

7(3) यदि, अधिकरण के विनिश्चय पर विचार करने पर, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की यह राय है कि उसमें अन्तर्विष्ट किसी बात का स्पष्टीकरण अपेक्षित है या किसी मामले पर, जिसे अधिकरण को मूलतः निर्दिष्ट नहीं किया गया है, मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, विनिश्चय की तारीख से तीन माह के अन्दर, मामले पर और विचार करने के लिए अधिकरण को पुनः निर्दिष्ट कर सकेगी; और ऐसे निर्देश पर अधिकरण एक और रिपोर्ट ऐसे स्पष्टीकरण या मार्गदर्शन देते हुए जो वह ठीक समझे केन्द्रीय सरकार को भेजेगा और ऐसी दशा में, अधिकरण का विनिश्चय तदनुसार उपान्तरित किया गया समझा जाएगा।

परन्तु एक वर्ष की उक्त अवधि को, जिसके भीतर अधिकरण अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को भेज सकेगा, केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा जिसे वह आवश्यक समझे।

8(4) यदि अधिकरण के सदस्यों में किसी बात पर मतभेद होता है, तो उस बात का विनिश्चय बहुमत से किया जाएगा।

6 रिक्तियों का भरा जाना

यदि किसी कारण से अधिकरण के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य का पद (अस्थायी अनुपस्थिति से अन्यथा) खाली होता है तो ऐसी रिक्ति धारा 4 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार मुख्य न्यायाधीश द्वारा इस निमित्त नाम निर्देशित किए जाने वाले व्यक्ति द्वारा भरी जाएगी और अधिकरण को निर्दिष्ट मामले का अन्वेषण रिक्ति भरे

जाने के पश्चात अधिकरण द्वारा उसी प्रक्रम से जहां कि रिक्ति हुई थी, जारी रखा जा सकेगा।

7 अधिकरण के विनिश्चय का प्रकाशन

6.(1) केन्द्रीय सरकार अधिकरण के विनिश्चय का प्रकाशन राजपत्र में करेगी और वह विनिश्चय अन्तिम होगा और विवाद के पक्षकारों पर आबद्धकर होगा तथा उनके द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

10(2) अधिकरण के विनिश्चय का, केन्द्रीय सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन राजपत्र में उसके प्रकाशन के पश्चात वही प्रभाव होगा जो उच्चतम न्यायालय के आदेश या डिक्री का होता है।

8 अधिकरण के विनिश्चयों के कार्यान्वयन की स्कीमें बनाने की शक्ति

116ए(1) धारा 6 के उपबन्धों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना केन्द्रीय सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कोई स्कीम या स्कीमें बनाएगी जिनके माध्यम से अधिकरण के विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए जरूरी सभी मामलों के लिए प्रावधान किया जा सकता है;

उप–धारा (1) के अधीन बनाई गई स्कीम में निम्न के लिए प्रावधान हो सकता है:

(क) अधिकरण के किसी विनिश्चय या निदेशों के कार्यान्वयन के लिए किसी प्राधिकरण (चाहे उसका वर्णन इसी रूप में अथवा समिति या अन्य निकाय के रूप में किया गया हो) की स्थापना;

(ख) प्राधिकरण का गठन, क्षेत्राधिकार, शक्तियां तथा कार्य, कार्यकाल तथा उसके सदस्यों की सेवा की अन्य शर्तें, उसके सदस्यों की रिक्तियां भरने के लिए अपनाई जाने वाली क्रियाविधि तथा तरीका;

(ग) प्राधिकरण की वर्ष में एक न्यूनतम संख्या में बैठकें आयोजित करना, ऐसी बैठकों के लिए गणपूर्ति तथा तत्सम्बन्धी क्रियाविधि;

(घ) प्राधिकरण द्वारा किसी स्थायी, तदर्थ अथवा अन्य समितियों की स्थापना करना;

(ड.) ऐसे प्राधिकरण द्वारा सचिव तथा अन्य स्टाफ की नियुक्ति और ऐसे स्टाफ के वेतन तथा भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें;

(च) प्राधिकरण द्वारा एक निधि की स्थापना, ऐसी निधि में जमा कराई जा सकने वाली राशियां और ऐसे व्यय जिन पर निधियां खर्च की जा सकती हैं;

(छ) रूप और तरीका जिसमें प्राधिकरण द्वारा लेखे रखे जाएंगे;

(ज) प्राधिकरण द्वारा अपने क्रियाकलापों के सम्बन्ध में एक वार्षिक रिपोर्ट की प्रस्तुति;

(झ) प्राधिकरण के विनिश्चय जोकि समीक्षा के अध्यधीन होंगे;

(ञ) इस तरह की समीक्षा करने वाली समिति की का गठन तथा ऐसी समिति द्वारा पालन की जाने वाली क्रियाविधि; तथा

(ट) ऐसा कोई अन्य मामला जोकि अधिकरण के विनिश्चयों अथवा निदेशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जरूरी अथवा उचित हो

(ठ) उपखण्ड (1) के अधीन बनाई गई किसी स्कीम में कोई प्रावधान करने में।

9 मालिकाना आदि के उद्ग्रहण का प्रतिषेध

7.(1) कोई राज्य सरकार, केवल इस कारण से कि अन्तर्राज्यिक नदी के जल–साधनों के संरक्षण विनियमन या उपयोग के लिए कोई संकर्म राज्य की सीमाओं के अंदर निर्मित किए गए हैं, किसी दूसरे राज्य या उसके निवासियों द्वारा ऐसे जल के उपयोग के बारे में कोई मालिकाना या अतिरिक्त दर या फीस (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो) अधिरोपित नहीं करेगी, और न उसका अधिरोपण प्राधिकृत करेगी।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट प्रतिषेध के उल्लंघन में किसी जल दर के उद्ग्रहण के बारे में दो या अधिक राज्य सरकारों के बीच कोई विवाद या मतभेद जल विवाद समझा जाएगा।

10 अधिकरण को कतिपय विवादों के निर्देश के लिए वर्जन

8. धारा 3 या धारा 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई ऐसा विवाद अधिकरण को निर्दिष्ट नहीं किया जाएगा जो ऐसे किसी मामले के संबंध में उत्पन्न हुआ है जिसे नदी बोर्ड अधिनियम 12(1956) के अधीन माध्यस्थम के लिए निर्दिष्ट किया जा सके।

11 अधिकरण की शक्तियां

9.(1) अधिकरण को निम्नलिखित मामलों के, बारे में वही शक्तियों होंगी जोकि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थातः–

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसको उपस्थित कराना और उसकी शपथ पर परीक्षा करना;

(ख) दस्तावेजों और तात्विक पदार्थों के प्रकटीकरण और पेश करने की अपेक्षा करना;

13(खक) किसी ऐसे डाटा की अध्यपेक्षा करना जो उसके द्वारा अपेक्षित हो;

(ग) साक्षियों की परीक्षा के लिए या स्थानीय अन्वेषण के लिए कमीशन जारी करना;

(घ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जा सकता है।

(2) अधिकरण किसी राज्य सरकार से ऐसे सर्वेक्षण और अन्वेषण कराने या कराने की अनुज्ञा देने की अपेक्षा कर सकेगा जो उसके समक्ष लम्बित जल विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए आवश्यक समझे जाएं।

(3) अधिकरण के विनिश्चय में यह निर्देश दिया जा सकेगा कि किस सरकार द्वारा अधिकरण के व्यय और अधिकरण के समक्ष उपस्थित होने में किसी राज्य सरकार द्वारा उपगत कोई खर्च संदत्त किए जाने है और उसमें इस प्रकार संदत्त होने वाले व्ययों और खर्चों की रकम नियत की जा सकेगी और जहां तक विनिश्चय का व्ययों और खर्चों से संबंध है वह इस प्रकार प्रवर्तित किया जा सकेगा मानों वह उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश हो।

(4) 14[इस अधिनियम और तदधीन बनाए जाने वाले नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए] अधिकरण, आदेश द्वारा, अपनी पद्धति और प्रक्रिया कार्य विनियमन कर सकेगा।

12 डाटा बैंक और सूचना का बनाए रखना

15[9क.(1)केन्द्रीय सरकार, प्रत्येक नदी द्रोणी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी डाटा बैंक और सूचना प्रणाली बनाए रखेगी जिसमें जल स्रोतों, भूमि, कृषि और उनसे संबंधित विषयों के संबंध में वह डाटा सम्मिलित होगा जो केन्द्रीय सरकार समय–समय पर विहित करे। राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार को या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी अभिकरण को, जब भी अपेक्षित हो, उक्त डाटा का प्रदाय करेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार को, राज्य सरकार द्वारा प्रदाय किए गए डाटा का सत्यापन करने और उक्त प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को नियुक्त करने और ऐसे उपाय करने की, जिन्हें वह आवश्यक समझे, शक्तियां होंगी। इस प्रक्रिया द्वारा नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को संबद्ध राज्य सरकार से ऐसे अभिलेख और सूचना समन करने की शक्तियां होंगी जो इस धारा के अधीन उनके कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक समझी जाएं'।

13 अधिकरण के पीठासीन अधिकारी और असेसरों के भत्ते या फीस

10. 16[अधिकरण का अध्यक्ष और अन्य सदस्य] और असेसर ऐसे पारिश्रमिक, भत्ते या फीस प्राप्त करने के हकदार होंगे जो विहित किए जाएं।

14 उच्चतम न्यायालय और अन्य न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन

11. अन्य किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, न तो उच्चतम न्यायालय को और न किसी अन्य न्यायालय को किसी ऐसे जल विवाद के बारे में जो इस अधिनियम के अधीन अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाए अधिकारिता होगी और न उनके द्वारा प्रयोग में लाई जाएगी।

15 अधिकरण का विघटन

12. केन्द्रीय सरकार, अधिकरण द्वारा रिपोर्ट भेज दिए जाने के पश्चात और ज्यों ही केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि मामले में अधिकरण को कोई अतिरिक्त निर्देश आवश्यक नहीं होगा, अधिकरण का विघटन कर देगी।

16 नियम बनाने की शक्ति

13.(1) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों से परामर्श के पश्चात राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों द्वारा सभी निम्नलिखित मामलों पर या उनमें से किन्हीं के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थातः–

(क) वह प्रारूप और रीति जिसमें कि किसी राज्य सरकार द्वारा जल विवाद के बारे में परिवाद किया जा सकेगा;

(ख) वे मामले जिनके बारे में अधिकरण में सिविल न्यायालय की शक्तियां निहित हो सकेंगी;

(ग) इस अधिनियम के अधीन अधिकरण द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(घ) अधिकरण के [अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को] और असेसरों को संदेय पारिश्रमिक, भत्ते या फीस,

18[(ड.) अधिकरण के अधिकारियों तथा असेसरों की सेवा के निबंधन और शर्तें

(च) कोई अन्य मामला जिसे विहित किया जाना है या किया जा सकता है।

19[(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के, जिसमें वह इस प्रकार रखा गया हो, या पूर्वोक्त बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात वह ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात वह निष्प्रभावी हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे उपांतरित या निष्प्रभावित होने से पूर्व उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पाद टिप्पणियां

1. 1963 के विनिमय 6 खण्ड 2 और अनुसूची के द्वारा दादरा तथा नागर हवेली तक तथा 1963 के विनिमय 7 खण्ड 3, अनुसूची I द्वारा पाण्डिचेरी तक विस्तारित।
2. 2002 के अधिनियम 14 खण्ड 1(1) द्वारा प्रतिस्थापित (28.3.2002 से लागू)
3. 2002 के अधिनियम 14 खण्ड 3(क) द्वारा प्रतिस्थापित (28.3.2002 से लागू)
4. पिछला उपखण्ड 1968 के अधिनियम 35 खण्ड 2 द्वारा प्रतिस्थापित
5. 2002 के अधिनियम 14खण्ड 3 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित (28.3.2002 से लागू)
6. 2002 के अधिनियम 14 खण्ड 4 द्वारा प्रतिस्थापित (28.3.2002 से लागू)
7. 2002 के अधिनियम 14 खण्ड 4 द्वारा प्रतिस्थापित (28.3.2002 से लागू)
8. 1968 के अधिनियम 35 खण्ड 3 द्वारा प्रतिस्थापित
9. 1968 के अधिनियम 35 खण्ड 4 द्वारा प्रतिस्थापित
10. 2002 के अधिनियम 14, खण्ड 5 द्वारा निवेशित (28.3.2002 से लागू)
11. 1980 के अधिनियम 45 खण्ड 2 द्वारा निवेशित (27.8.1980 से लागू)
12. '1955' के लिए 1957 के अधिनियम 36, खण्ड 3 और अनुसूची II द्वारा प्रतिस्थापित
13. कुछ शब्दों के लिए 1968 के अधिनियम 35 के खण्ड द्वारा प्रतिस्थापित
14. 2002 के अधिनियम 18 खण्ड 7 द्वारा निवेशित (से लागू)
15. कुछ शब्दों के लिए 1968 के अधिनियम 35 खण्ड 6 द्वारा प्रतिस्थापित
16. 'पीठासीन अधिकारी' के लिए उक्त अधिनियम के खण्ड 7 द्वारा प्रतिस्थापित
17. 2002 के अधिनियम 14 खण्ड 8 द्वारा प्रतिस्थापित (28.3.2002 से लागू)
18. पूर्व उपखण्ड के लिए उक्त अधिनियम के खण्ड 7 द्वारा प्रतिस्थापित
19. कुछ शब्दों के लिए 1980 के अधिनियम 45 खण्ड 3 द्वारा प्रतिस्थापित (27.8.1980 से लागू)
20. अन्तर्राज्यीय जल विवाद (संशोधन) अधिनियम 1986 द्वारा निवेशित।